न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, कुचामनसिटी जिला नागौर (राजस्थान)

पीठासीन अधिकारी :– श्री बाबूलाल जाट (RAS)
राजस्व वाद संख्या 9/2020 **{RCMS 2020/00023}**
वादी
1. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार (भूमिधारी) कुचामनसिटी जिला नागौर राजस्थान

बनाम

प्रतिवादी
1. बंशीलाल पुत्र खेताराम जाति कुमावत निवासी सबलपुरा तहसील कुचामनसिटी

दावा :– अन्तर्गत धारा 177 राजस्थान अभिधारी अधिनियम 1955

उपस्थित :– राज पैरोकार तहसीलदार कुचामनसिटी।

निर्णय

दिनॉक :– 11.10.2021

प्रकरण का सार संक्षेप में इस प्रकार से है कि जमाबन्दी नकल सम्वत 2073–2076 अनुसार ग्राम कुचामनसिटी के खसरा नम्बर 3585/138 रकबा 0.0703 हैक्टर किस्म बारानी चाही प्रथम प्रतिवादी की खातेदारी में दर्ज चली आ रही है, प्रतिवादी ने उक्त खसरा की भूमि बिना विहित प्राधिकारी की अनुमति के मार्बल ग्रेनाईट आदि पत्थर का बाड़ा बनाकर कार्य कर कृषि भूमि का अकृषि उपयोग कर लिया है जो राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 177 का स्पष्ट उल्लंघन है, वादी के पास इस आशय की सूचना दी है कि प्रतिवादी ने उपरोक्त भूमि में कृषि भूमि को अकृषि में परिवर्तित कर दिया है, पटवारी हल्का कुचामनसिटी ने पेश की, जिस पर प्रतिवादी को वादी द्वारा नोटिस दिया गया, परन्तु प्रतिवादी कृषि भूमि को अकृषि में परिवर्तित किये जाने की विहित प्राधिकारी की अनुमति प्रस्तुत करने में असफल रहा है, प्रतिवादी को उक्त कृषि भूमि को विहित प्राधिकृत अधिकारी की पूर्वानुमति के बिना अकृषि उपयोग करने का अधिकार नहीं है, बिनाय दावा दिनॉक 11.07.2019 को वादी के पास विचाराधीन प्रकरण अन्तर्गत धारा 90 R.L.R.Act सं. 23/2019 प्रस्तुत होने पर उत्पन्न हुआ है, वादी की इस्तदुआ है कि प्रतिवादी ने बिना विहित प्राधिकृत अधिकारी की अनुमति के कृषि भूमि को अकृषि में परिवर्तित कर दिया है ग्राम कुचामनसिटी के खसरा नम्बर 3585/138 रकबा 0.0703 हैक्टर किस्म बारानी चाही प्रथम में प्रतिवादी के [illegible] को राजकीय खाते में दर्ज किये जाने के आदेश कर मुझ वादी को कब्जा [illegible] जाने के आदेश फरमावें।

Signature Not Verified
Digitally signed by Babu Lal Jat
Date: 2021.12.21 17:20:36 IST
Reason: SelfAttested

प्रकरण दर्ज रजिस्टर [illegible] जरिये अखबार स्याहा सम्मन जारी कर तलबी की गई, दिनांक 27.02.2020 दैनिक नवज्योति अंक [illegible]ज सं. 9 पर सम्मन प्रकाशित होकर प्रति शामिल मिसल की गई, प्रतिवादी को आवाजे लगाई गई, जो अनुपस्थित रहे जिससे प्रतिवादी के विरूद्व एक–पक्षीय कार्यवाही अमल में लाई गई। दस्तावेजी साक्ष्य में जमाबन्दी नकल सम्वत 2074–2077 की प्रमाणित प्रति प्रस्तुत की है।

उपखण्ड अधिकारी
कुचामन सिटी (नागौर)

प्रकरण में राज पैरोकार की बहस सुनी गई, जिन्होने वाद–पत्र में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए उपरोक्त भूमि को राजकीय दर्ज कर कब्जा सुपुर्द किये जाने के आदेश हेतु निवेदन किया। रिपोर्ट 90 ए कार्यवाही अनुसार ग्राम कुचामनसिटी के खसरा नम्बर 3585/138 रकबा 0.0703 हैक्टर किस्म बारानी चाही प्रथम हैक्टर भूमि में प्रतिवादी ने बिना विहित प्राधिकारी की अनुमति के मार्बल ग्रेनाईट आदि पत्थर बेचने का बाड़ा बनाकर कार्य कर कृषि भूमि को अकृषि प्रयोजन काम में लिया है, जमाबंदी नकल सम्वत 2074–77 अनुसार निम्नवत प्रविष्टि दर्ज है :–

ग्राम का नाम :- कुचामनसिटी	अंतिम चोसला आधार सम्वत :- 2074 - 2077 जमाबंदी 2075 (वर्ष 2018) से स्थायी
पटवार हल्का :- कुचामनसिटी	भूमि धारक का नाम :- राज.सरकार
भू.अभि.नि. :- कुचामनसिटी	क्षेत्रफल की ईकाई :- हैक्टेयर
तहसील :- कुचामन	खाता संख्या नया :- 234
जिला :- नागौर	खाता संख्या पुराना :- 208

काश्तकार का नामः-

1. बंशीलाल पुत्र खेताराम हिस्सा- पूर्ण जाति- कुमावत सा. सबलपुरा खातेदार,

खसरा संख्या	क्षेत्रफल	भूमि वर्गीकरण		कृषक द्वारा संदत्त लगान	सिंचाई के साधन	अन्तरण के क्रम में प्रमाणित नामान्तरकरण संख्या व दिनांक	टिप्पणी
3585/138	0.0703	चाही 1	0.0354	1.91			
		जाव 1	0.0349	0.94			

प्रश्नगत ग्राम कुचामनसिटी के खसरा नम्बर 3585/138 रकबा 0.0703 हैक्टर किस्म बारानी चाही प्रथम में प्रतिवादी की खातेदारी दर्ज चजी आ रही है उक्त भूमि को कृषि से गैर कृषि कार्य हेतु भूमि को बिना विहित प्राधिकारी की अनुमति के उपयोग में लिया है। प्रतिवादी का अनुपस्थित रहना ही अपने आप में साबित है कि प्रश्नगत भूमि में उपरोक्त भूमि को बिना सक्षम अधिकारी से अनुमति प्राप्त किये अकृषि प्रयोजन प्रयोग में लिया है तथा मार्बल ग्रेनाईट आदि पत्थर बेचने का बाड़ा बनाकर कार्य कर लिया है जो राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 177 का स्पष्ट उल्लंघन है। अतः उपरोक्त भूमि राजकीय दर्ज कर कब्जे राज लिये जाने हेतु वाद डिक्री पाया गया।

आदेश

ग्राम कुचामनसिटी के खसरा नम्बर 3585/138 रकबा 0.0703 हैक्टर किस्म बारानी चाही प्रथम में प्रतिवादी की भूमि (तहसीलदार कुचामनसिटी के यहाँ प्रस्तुत 90 A में दर्शित भूमि) को राजकीय खाते में दर्ज कर कब्जे राज लिये जाने के आदेश दिये जाते है, तहसीलदार [illegible] अनुसार पालना कर रिपोर्ट प्रस्तुत करने हेतु आदेशित किया जाता है। [illegible] जाकर शामिल मिसल किया जावे।

Signature Not Verified
Digitally signed by Babu Lal Jat
Date: 2021.12.21 17:20:36 IST
Reason: SelfAttested

आदेश आज दिनॉक 11.10.2021 को सरे इजलास सुनाया गया।

(बाबूलाल जाट RAS)
उपखण्ड अधिकारी
कुचामनसिटी (नागौर)

उपखण्ड अधिकारी कुचामन सिटी (नागौर)

डिक्री मुकदमा इन्तेहाई
(ओ.20 रूल 6–7 जाब्ता दीवानी)

अज अदालत : **उपखण्ड अधिकारी** मुकाम : **कुचामन सिटी**
बइजलास : **बाबूलाल जाट (आर.ए.एस.)**
राजस्व वाद संख्या 09/2020 **{RCMS 2020/00023}**

वादी

1. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार (भूमिधारी) कुचामनसिटी जिला नागौर राजस्थान

बनाम

प्रतिवादी

1. बंशीलाल पुत्र खेताराम जाति कुमावत निवासी सबलपुरा तहसील कुचामनसिटी

दावा :– **अन्तर्गत धारा 177 राजस्थान अभिधारी अधिनियम 1955**

यह मुकदमा आज वास्ते इनफिसाल कतई रू–बरू राज पैरोकार हाजिरी .... मिनजानिब मुदई रू–बरू श्री .... मिनजानिब मुदायलह पेश होकर हुक्म दिया जाता है कि ग्राम कुचामनसिटी के खसरा नम्बर 3585/138 रकबा 0.0703 हैक्टर किस्म बारानी चाही प्रथम में प्रतिवादी की भूमि (तहसीलदार कुचामनसिटी के यहॉ प्रस्तुत 90 A में दर्शित भूमि) को राजकीय खाते में दर्ज कर कब्जे राज लिये जाने के आदेश दिये जाते है, तहसीलदार कुचामनसिटी को उपरोक्तानुसार पालना कर रिपोर्ट प्रस्तुत करने हेतु आदेशित किया जाता है। डिक्री पर्चा भरा जाकर शामिल मिसल किया जावे।

निज .... मुबलिग .... बाबत..................खर्चा इस मुकदमे के मय सूद शरह.... फीसदी सालाना आज की तारिख से तारीख अदायगी तक .... का अदा करें।

बसब्त मेरे दस्तखत व मुहर अदालत के आज दिनांक को 11.10.2019 को जारी की गई।

दस्तखत..........................
ओहदा.......उपखण्ड अधिकारी.......(मुहर)
कुचामन सिटी (नागौर)

मुदई	रूपयें	पैसे	मुदायलय	रूपयें	पैसे
स्टाम्प अर्जी दावा			स्टाम्प अर्जी दावा		
स्टाम्प वकालात नामा			स्टाम्प अर्जी		
स्टाम्प वजह सबूत			महन्ताना वकिल		
महन्ताना वकिल			खर्चा गवाहन		
खर्चा गवाहन			फीस कमिश्नर		
फीस कमिश्नर			बबत इजराय हुक्मनामा		
बबत इजराय हुक्मनामा			मुतफरिक		
मुतफरिक					
मीजान			मीजान		

Signature Not Verified

Digitally signed by Babu Lal Jat
Date: 2021.12.21 17:20:36 IST
Reason: SelfAttested

नोटः इस खर्चा के फार्म पर कुल खर्चा हर दो फरीकेन का चाहे डिगरी के जरिये दिखाया गया हो या नहीं, दर्ज करना चाहिए